बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(पंजीयन सं.-633/2003)
Website ; basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

कार्य. अध्यक्ष
* साबर भारती
मो.-9955849473

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो.-9431091417 E-mail: shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव : * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष : * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष : * विनोद आनन्द

पत्रांकः 17

दिनांकः 6-7-2017

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– बिना तथ्य परक जाँच किये प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक श्री सुनील कुमार तिवारी (बि0प्र0से0), (कोटि क्र०–1051/11), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध राजनगर थाना में केस संख्या–20/2017, दिनांक– 09.02.2017 दर्ज किया गया है जो तथ्यहीन एवं आधारहीन है। प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में गृह विभाग का पत्र 6211, दिनांक– 09.06.2008 का भी अनुपालन नहीं किया गया है। पत्र 6211, दिनांक– 09.06.2008 के अनुसार "राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, किसी विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृत्ति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई है तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (Means rea) भी सरकारी कर्मी के व्यवहार/आचरण (Conduct) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि Not all losses are criminal losses.

ध्यान रहे कि सभी सरकारी अधिकारी/कर्मी राज्य सरकार के अंग हैं इसलिए यदि किसी के कार्यकलाप से सरकार को क्षति होती है तो सरकार, जो कि नियोजक (Employer) है उसी को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि वह उक्त कर्मी पर किस प्रकार की कार्रवाई करें।"

श्री सुनील कुमार तिवारी (बि0प्र0से0) का तथ्य संलग्न करते हुए संघ का अनुरोध है कि श्री सुनील कुमार तिवारी को न्याय दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय। गृह विभाग के निदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाय, ताकि भविष्य में निर्दोष पदाधिकारी पर कार्रवाई से रोका जा सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

(सुशील कुमार) 6/7
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग को उनके विभाग से निर्गत निदेश का अनुपालन कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(सुशील कुमार) 6/7
महासचिव

प्रतिलिपिः— श्री सुनील कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव